उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1955)

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL HOUSING ACT, 1955

(U.P. Act No. XXIII of 1955)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1955)

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 1, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 30, 1970

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1972

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 21 सितम्बर, 1955 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अक्टूबर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति से दिनांक 13 दिसम्बर, 1955 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 21 दिसम्बर, 1955 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

औद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गृह बनाए गए हैं और इसके पश्चात् भी बनाए जायेंगे ;

और यह आवश्यक है कि ऐसे गृहों के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए प्राधिकारों की व्यवस्था की जाय और उसे संस्थापित किया जाय ;

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय–1

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955 कहलाएगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह उन क्षेत्रों में और उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति[2] प्रकाशित करके प्रख्यापित करे ।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में ––

(क) "परामर्शदात्री समिति" का तात्पर्य धारा 8 के अधीन संगठित परामर्शदात्री समिति से है ;

(ख) "प्रदेशना" (Allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी गृह के उपभोग और अध्यासन (Occupation) के अधिकार प्रदान से है, किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे (Lease) द्वारा प्रदान नही है ;

(ग) "गृह" का तात्पर्य धारा 3 [3][* * *] में अभिदिष्ट गृह से है और इसके अन्तर्गत उसका कोई भाग और निम्नलिखित भी है ––

(1) कोई बाग, भूमि अथवा बाहरी घर (Out-houses) जो इस गृह से संलग्न हों ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 30 अप्रैल, 1954 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

2. विज्ञप्ति सं० 288 (अ)/36–घ––261 (अ)–68, दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के अधीन दिनांक 19 अप्रैल, 1969 से निम्नलिखित क्षेत्रो में लागू है ;

नगर	क्षेत्र
कानपुर	फोर्ड मैक्डानल्ड फहीमुद्दीन का हाता सेवा ग्राम हलुवा खांडा
लखनऊ	टिकतराय का तालाब तालकटोरा मार्ग पर टिकतराय के तालाब के समीप ।
मोदीनगर (मेरठ)	सुचेतापुरी
वाराणसी	नाटी इमली साहुपूरी
शिकोहाबाद	स्टेशन रोड पर ए० के० कालेज व सिरसा नदी के बीच का क्षेत्र
गाजियाबाद	सेक्टर 8 में धुकवा सिरहानी मौजा जटवारा कलां गाँव

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (iv) (2) द्वारा निकाली गयी ।

(2) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा [1][श्रम] आयुक्त द्वारा गृह में प्रयोग के लिए दिया हुआ उपस्कर (Furniture) ;

(3) ऐसे गृह में लगी हुई कोई फिटिंग जो उसके अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये हो ;

(घ) "[श्रम][1] आयुक्त" [Labour][1] Commissioner उप [1][श्रम] आयुक्त [1][गृह] (Deputy (Labour) Commissioner Housing) ["सहायक [1][श्रम] आयुक्त" [1][गृह] (Assistant [1][Labour] Commissioner (Housing)[1] का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उक्त अधिकारियों से है ;

(ङ) "औद्योगिक श्रमिक" का तात्पर्य फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 में पारिभाषित शब्द (worker) से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन वने नियमों द्वारा नियत से है ;

[2][(छ) किसी गृह के संबंध में "किराया" का तात्पर्य गृह के अधिकृत अध्यासन के लिये निश्चित अंतरालों पर देय प्रतिफल से है और इसके अन्तर्गत ––

(1) गृह का अध्यासन करने के संबंध में बिजली, पानी या किसी अन्य व्यवस्था के लिये कोई परिव्यय ;

(2) गृह के संबंध में देय कोई कर, चाहे उसका कुछ भी नाम हो ––

भी सम्मिलित है, जहां ऐसा परिव्यय या कर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जैसी भी दशा हो, देय हों ।]

(ज) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

इस अधिनियम की प्रवृत्ति

3–(1) यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह–व्यवस्था योजना (Industrial Housing Scheme) [जिसे यहाँ पर आगे चल कर राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह–व्यवस्था योजना कहा गया है] अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को अन्य किसी योजना के अधीन जो गजट मे इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के निमित्त राज्य सरकार अथवा [3](उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से भिन्न) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित गृहों पर प्रवृत्त होगा ।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में [प्रख्यापन][4] प्रकाशित करके उन नगरों के नाम सहित जहाँ वह गृह स्थित हों, उन गृहों को निर्दिष्ट करेगी और ऐसा प्रख्यापन इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि ऐसे गृह राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, ओद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के हेतु राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह–व्यवस्था योजना के अधीन बनाये गये थे ।

[5][(3) यह अधिनियम, ऐसे गृहों पर भी लागू होगा जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 के अधीन किसी योजना के निष्पादन में निर्मित हों और जिन्हें उक्त परिषद् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन गृह घोषित करे ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 की धारा 96 (4) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30, 1970 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (4) (3) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
4. विज्ञप्ति सं० 288 (ए) (2)/36–घ––261(ए)–68 दिनांक 26 अप्रैल, 1969 देखिए ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (4) (3) द्वारा बढ़ायी गयी ।

(श्रम)[1]–आयुक्त

4–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके [1][श्रम] आयुक्त की नियुक्ति करेगी ।

(2) [1][श्रम] आयुक्त [(Labour)[1] Commissioner] एकल निगम (Corporation Sole) होगा जो [1][श्रम] आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कहलायगा, उसका सतत् अनुक्रम (Perpetual succession) होगा, उसकी अधिकारिक मुद्रा (Official seal) होगी ; वह अपने निगमित नाम (Corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा ।

उप श्रम आयुक्त (गृह)[1] सहायक (श्रम)[1] आयुक्त (गृह)[1]

5–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्य के प्रशासन, पर्यवेक्षण और सम्पादन हेतु एक या एक से अधिक उप श्रम आयुक्त [1](गृह) , सहायक [1][श्रम] आयुक्त [1](गृह) तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी, जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है ।

(2) उप श्रम आयुक्त [1](गृह)] तथा सहायक [श्रम आयुक्त [1](गृह)] राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण में तथा [1][श्रम] आयुक्त के आदेशों के अधीन [1][श्रम] आयुक्त के किसी भी कर्त्तव्य को कर सकेगे तथा अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे कर्त्तव्य करते समय अथवा अधिकार प्रयोग करते समय उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वे उन्हीं दायित्वों से आबद्ध होंगे जो [1][श्रम] आयुक्त के हैं।

इंडियन पीनल कोड की धारा 2 के अधीन [श्रम][1] आयुक्त तथा अन्य अधिकारी (जनसेवक) होंगे

6–[1][श्रम] आयुक्त तथा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी अथवा सेवक इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (जन–सेवक) समझे जायेंगे ।

[श्रम][1] आयुक्त के कर्त्तव्य

7–राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, [1][श्रम] आयुक्त गृहों की प्रदेशना, उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों में अध्यासीन व्यक्तियों की [2][बेदखली करवाना] तथा इस अधिनियम के प्रशासन के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उत्तरदायी होगा ।

परामर्शदात्री समिति

8–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों में परामर्श के हेतु, जिन्हें राज्य सरकार अथवा [1][श्रम] आयुक्त उसके परामर्श के लिये अभिदिष्ट करे, परामर्शदात्री समिति संगठित कर सकती है।

(2) परामर्शदात्री समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे । सभापति सहित उनकी संख्या 9 होगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्शदात्री समिति में कम से कम एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का तथा एक उनके नियोजकों का प्रतिनिधि अवश्य होगा ।

(3) परामर्शदात्री समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी ।

9– [3][* * * *]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (4) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 22, 1972 की धारा 19 (2) (क) द्वारा शब्द "बेदखली" के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 22, 1972 की धारा 19 (1) ग द्वारा निकाल दी गयी।

प्रदेशना के लिए प्रार्थना–पत्र

10–गृहों की प्रदेशना के लिये प्रार्थना–पत्र ऐसे आकार (form) में दिया जायगा जो नियत किया जाय ।

गृहों की प्रदेशना

11–[श्रम][1] आयुक्त उस रीति से गृहों की प्रदेशना करेगा, जो नियत की जाय ।

अध्यासन की शर्तें

12–(1) किसी व्यक्ति द्वारा गृह का अध्यासन सर्वदा उन शर्तों के अधीन रहेगा जो ऐसे गृह के अध्यासन के सम्बन्ध में नियत की जाये अथवा जिन्हे [श्रम][1] आयुक्त समय–समय पर सूचित करें ।

(2) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, [श्रम][1] आयुक्त अध्यासी को नोटिस देकर और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करके तथा कारण अभिलिखित करके उस प्रदेशना को निरस्त (Cancel) कर सकता है, जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हों । प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का बाधित होना

13–इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार अथवा [1][श्रम] आयुक्त द्वारा दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में आपत्ति नही की जा सकेगी तथा इस अधिनियम द्वारा दिये गये किसी भी अधिकार के अनुसार किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकेगी।

अनुबन्ध–पत्र का निष्पादन

14–प्रत्येक गृह का अध्यासी ऐसे आकार में अनुबन्ध–पत्र (Agreement) निष्पादित करेगा जो नियत किया जाय।

किराये की दरें और अदायगी के दिनांक

15–प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसे प्रदेशना प्राप्त हों, किराया तथा अन्य परिव्यय (charges) उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे, जिन्हें [श्रम][1] आयुक्त निश्चित करें।

किराया तथा अन्य परिव्यय देने का ढंग

16–सब किराया तथा अन्य परिव्यय नकदी में वसूल किये जायेंगे और प्रत्येक अनुगामी मास (following month) की पन्द्रहवीं तारीख तक देय होंगे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि [श्रम][1] आयुक्त उन आदेशों के अधीन जिन्हें राज्य सरकार प्रचारित करे, समय–समय पर किराया तथा अन्य परिव्ययों के देने का दिनांक बढ़ा सकता है।

किराया तथा अन्य परिव्ययों का बकाया

17–देय दिनांक पर अथवा [श्रम][1] आयुक्त द्वारा बढ़ाई गई अवधि में न दिया गया किराया तथा अन्य परिव्यय बकाया समझा जायगा ।

गृह में दाखिले का अधिकार

18–[श्रम][1] आयुक्त, उप [श्रम][1] आयुक्त [गृह][1], सहायक [श्रम][1] आयुक्त [गृह][1] अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रशासित और कार्यान्वित करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे गृह में, जिसमें दाखिल होना वह आवश्यक समझे, यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलाओं में दाखिल हो सकता है ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (4) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

19–[1][* * * *]

वेतन से किराये की कटौती

20– (1) किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, कोई व्यक्ति [2][श्रम] आयुक्त के साथ ऐसा अनुबन्ध–पत्र निष्पन्न कर सकता है, जिसके अनुसार नियोजक जिसके अधीन वह नियुक्त हो, उसको देय वेतन अथवा मजदूरी में से ऐसी धनराशि जो अनुबन्ध–पत्र में निर्दिष्ट हो, काट सके और इस प्रकार कटौती की हुई धनराशि प्रदिष्ट गृहादि (premises) के किरायें तथा अन्य परिव्ययों की भरपाई के रूप में [2][श्रम] आयुक्त को दे सके ।

ऐसे अनुबन्ध–पत्र के निष्पादन होने पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936, में किसी बात के होते हुये भी [2][श्रम] आयुक्त द्वारा मांग–पत्र में निर्दिष्ट धनराशि की कटौती के लिये लिख कर कहे जाने पर नियोजन श्रमिक के वेतन अथवा मजदूरी में से वह धनराशि काट लेगा और इस प्रकार कटौती की हुई धनराशि को [2][श्रम] आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अदा करेगा और इस मांग–पत्र के विपरीत अदा की हुई किसी धनराशि के लिये नियोजक उत्तरदायी (liable) होगा ।

(2) यदि इस सम्बन्ध में नोटिस की तामील के 30 दिन के भीतर नियोजक [2][श्रम] आयुक्त की उपधारा (1) के अधीन कटौती की हुई धनराशि न दे अथवा श्रमिक को उक्त उपधारा के अधीन मांग–पत्र के विपरीत कोई भी धनराशि दे तो, वह कटौती की हुई या इस प्रकार श्रमिक को दी हुई धनराशि वसूली के सब व्यय सहित उससे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।

21– [3][* * * *]

अपील का अधिकार

22–(1) धारा 2 की उपधारा (2) [4][* * * *] के अधीन [2][श्रम] आयुक्त की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त धाराओं के अधीन आज्ञा की तामील से 15 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उक्त 15 दिन की अवधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसे संतोष हो कि प्रार्थी पर्याप्त कारणवश निश्चित समय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर राज्य सरकार [2][श्रम] आयुक्त से आख्या प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे और राज्य सरकार की यह आज्ञा अन्तिम होगी ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो राज्य सरकार उस आज्ञा का निष्पादन (enforcement), जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, उस अवधि के लिये और उन शर्तो पर रोक सकती है, जिन्हें वह उचित समझे ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 22, 1972 की धारा 19 (1) (ग) द्वारा निकाली गयी ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (4) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 22, 1972 की धारा 19(1)(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 22, 1972 की धारा 19 (2) (ख) द्वारा निकाले गये ।

23–[1][* * * *]

24– [1][* * * *]

24–क–[1][* * * *]

24–ख–[1][* * * *]

24–ग–[1][* * * *]

24–घ–[1][* * * *]

24–ङ–[1][* * * *]

24–च–[1][* * * *]

25–[1][* * * *]

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों की रक्षा

26–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिए जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

27–[1][* * * *]

नियम बनाने का अधिकार

28–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते है ––

(क) [2][श्रम] आयुक्त के कर्त्तव्य और कृत्य ;

(ख) धारा 8 के अधीन परामर्शदात्री समिति का संगठन और सदस्यता ;

(ग) प्रार्थना–पत्र का आकार तथा आवास की प्रदेशना की रीति और उसके अध्यासन की शर्तें ;

(घ) आकार और रीति जिसमें धारा 22 के अधीन अपील प्रस्तुत की जायेगी ;

(ङ) धारा 22 के अधीन अपीलों में देय शुल्क, यदि कोई हो ;

(च) धारा 14 और 20 में अभिदिष्ट अनुबंध–पत्र का आकार ;

(छ) धारा 12 की उपधारा (2) [3][* * * *] के अधीन आज्ञा की तामील की रीति ।

(ज) किराया तथा अन्य परिव्यय दिये जाने का ढंग ;

(झ) [4][* * * *]

(ञ) गृहों की देख–रेख और मरम्मत ;

(ट) वे विषय जो नियत किये जाने वाले है या नियत किये जायें ।

[5][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उसके एक या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक की कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट मे प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनो सदन उक्त अवधि के भीतर करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या संशोधन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1972 की धारा 19 (1) (ग) द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1966 की धारा 96 (4) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 22, 1972 की धारा 19 (2) (ग) द्वारा निकाला गया ।
4. उपरोक्त द्वारा निकाला गया
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 30, 1970 की धारा 26 द्वारा बढ़ायी गयी।